उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

डवइपसम छवण 9415311047
म्उपस मममजक2अत/हउपसण्बवउ

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द तलवल हाइडिल
कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. 1582 वि0प्रे0खं (गा)/ दिनांक. 12.11.2020

विषयः— 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट पारेशण लाईन के लीज नवीनीकरण (प्रस्ताव संख्या—**FP/UP/TRANS/32650/2018**) हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव में अपेक्षित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र,

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1091/ ओबरा /33 /दिनांक 27/10/2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, उक्त विशयक के सन्दर्भ में आपेक्षित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त पॉच प्रतियों में प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—यथोपरोक्त

12/11/2020

(एस0के0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं (गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :—

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रेनूकुट / ओबरा/सोनभद्र /कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर।
3. मुख्य अभियन्ता (पा0उ0पू0), 132 के0वी0 उपकेन्द्र मोहद्दीपुर, गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेशण मण्डल, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, गाजीपुर।

(एस0के0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद(वर्तमान में उ.प्र. पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लि. गाजीपुर) को भारत सरकार के पत्र संख्या– 08–197/91–एफ.सी. दिनांक–01.11.1993 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या– जी आई. 444/14–2–93–707/89 दिनांक– 08/23 फरवरी 1994 द्वारा 400 के.वी. अनपरा–वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वनभूमि (मिर्जापुर 37.51 हे0,कैमूर वन प्रभाग मिर्जापुर 54.652 हे0,सोनभद्र वन प्रभाग 15.79 हे0, ओबरा वन प्रभाग 113.048 हे0,रेनुकूट वन प्रभाग 98.28 हे0) 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधिदिनांक–22.02.2014 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त विद्युत लाईन के लीज नवीनीकरण (प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/TRANS/32650/2018)** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयक प्रेषित प्रस्ताव का भली–भांती परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है । विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है । भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर–

हस्ताक्षर–

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
(एम०पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
राबर्ट्सगंज - सोनभद्र

(एस० के० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड
गाजीपुर

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य वन संरक्षक

Scanned with CamScanner